खबर कोना

दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली मेट्रो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण 8 अप्रैल से 5 मई 2024 तक आनलाइन होगा, जिसमें यात्री सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर प्रतिक्रिया-सुझाव सहित मेट्रो परिचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना जाएगा। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि यात्री सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर प्रतिक्रिया सुझाव सहित मेट्रो परिचालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में क्या सोचते हैं। जो यात्री सर्वेक्षण में भाग लेना चाहते हैं, वे डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

ठक-ठक गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

अपराध शाखा ने ठक ठक गिरोह के शातिर बदमाश माइकल को गिरफ्तार कर दो लैपटाप, दो मोबाइल, तीन पासपोर्ट, तीन पासबुक और अन्य सामान बरामद किया है। अपराध शाखा के उपायुक्त संजय कुमार सेन के मुताबिक आरोपी दो मामले में अदालत से भगोड़ा घोषित था। आरोपी के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा, यूपी में 19 आपराधिक मामले दर्ज पाए गए।

बच्चे चोरी के मामले में सीबीआइ जानकारी खंगालने में जुटी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

बच्चा चोर गिरोह के भंडाफोड़ के बाद मामले में सीबीआइ बच्चों की जानकारी खंगालने में जुटी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि बच्चों को कहां-कहां से खरीदा गया और फिर किसे बचाया गया। दूसरे राज्यों तक फैले नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

शराब घोटाले को लेकर चढ़ा सियासी पारा

आप नेताओं का जंतर-मंतर पर सामूहिक उपवास, केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

आम आदमी पार्टी ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन आंदोलन को तेज करते हुए जंतर-मंतर पर सामूहिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपवास की शुरुआत राष्ट्रभक्तों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।

इस दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल से बाहर आया तो साथियों ने बताया कि कितनी गहरी साजिश के चलते मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा ने जो मुकदमा बनाया है वो अगर सेल्फ डिफेंस वालंटियर (स्वयंसेवक) भी जांच करें तो वे भी बता देंगे कि ईडी का मुकदमा फर्जी है। दोनों जांच एजंसियों ने 456 गवाह व 50 हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है, इसमें से सिर्फ चार गवाह मगुंटा रेड्डी, उसका बेटा राघव रेड्डी, शरद रेड्डी व सी अरविंद ने केजरीवाल का नाम लिया है। वो भी किन हालातों में और दबाव में लिया उसे सब जानते हैं। ये 400 पार की नौटंकी के चक्कर में मत पड़ो। भाजपा वाले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से भी सीट आने की बात कह सकते हैं।

'अंग्रेजों की तरह ही केंद्र सरकार ने नीति अपनाई है'

दिलीप पांडे ने कहा कि अंग्रेजों की तरह ही केंद्र सरकार ने नीति अपनाई है लेकिन हम 'लड़ेंगे-जीतेंगे'। वहीं उपवास कर रहे कई स्थानों पर हमारे साथियों को उठा लिया गया है और पुलिस द्वारा छोड़ने पर वो दोबारा उपवास पर बैठ गए। वहीं दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आप को खत्म करने की भाजपा की कोशिश है लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं।

भाजपा ने आप के खिलाफ चलाया 'शराब से शीशमहल' अभियान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा रविवार को कनाट प्लेस में पालिका बाजार के मुख्यद्वार पर 'शराब से शीशमहल प्रदर्शनी' को लगाया गया। भाजपा ने इसमें शीशमहल का बड़ा माडल प्रदर्शित किया, साथ ही शराब की बोतलों के माडल वाले सेल्फी प्वाइंट लगाए गए थे, जिनपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व संजय सिंह की फोटो छपी थी।

भाजपा दिल्ली ने कहा, हम लोगों को अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार माडल दिखा रहे।

भाजपा दिल्ली के अध्यक्षवीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार माडल दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कर्तव्य पथ देख सकते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के महल को नहीं देख सकते। क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। 'शराब से शीश महल' की कहानी दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूरे दिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर निकलने वाले लोगों को 'भ्रष्टाचार विरोधी पत्रक' भी बांटे।

भाजपा के विभिन्न संगठात्मक मोर्चों युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता अभियान में शामिल हुए। इस प्रदर्शनी का संचालन कार्यालय मंत्री बृजेश राय व मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया।

दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के बीच कई शुष्क दिवस घोषित किए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के दौरान लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित कर दिए हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें ईद-उल-फितर (11 अप्रैल), राम नवमी (17 अप्रैल), महावीर जयंती (21 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (23 मई) और बकरीद (17 जून) को बंद रहेंगी। विभाग ने कहा कि सभी लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के किसी विशिष्ट स्थान पर शुष्क दिवस का आदेश प्रदर्शित करेंगे।

मतदान और मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर रहेगी रोक।

एक अन्य अधिसूचना में आबकारी विभाग ने कहा कि दिल्ली की सात लोकसभा सीट पर मतदान के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शराब की दुकानें और अन्य लाइसेंस प्राप्त परिसर 23 मई की शाम 6 बजे से 25 मई की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले) बंद रहेंगें। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानें चार जून (पूरे दिन) को भी बंद रहेंगी। चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी।

दो दिन में दो डिग्री तक और बढ़ेगा राजधानी का तापमान

शुक्रवार के बाद पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, गर्मी से हल्की राहत मिलेगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

तेज धूप के चलते राजधानी दिल्ली के तापमान में इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन में दिल्ली के अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक का इजाफा होगा। हालांकि, शुक्रवार के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली के लोगों को अभी चिलचिलाती गर्मी से राहत रहेगी।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रविवार की सुबह तेज धूप निकली। इसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। वहीं, तेज गति से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट हुई । न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से चार डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी।

मध्यम श्रेणी में रहा 'एक्यूआइ'

दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 रहा, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता के मध्यम श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

दिन के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता 63 फीसद से 21 फीसद के बीच रही। मौसम विभाग कार्यालय ने सोमवार को प्रमुख रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 और 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के नजफगढ़ में शाम 6:30 बजे अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, शुक्रवार के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। शनिवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

चोरी के बाद तीन बार बिकी भाजपा नेता नड्डा की पत्नी की कार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली के गोविंदपुरी, गिरिनगर इलाके से चुराई कार को उत्तर प्रदेश के बनारस से बरामद कर ली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लखनऊ निवासी 23 वर्षीय शिवांश त्रिपाठी उर्फ चंचल और चोरी की कार खरीदने वाले सलीम और मोहम्मद रईस उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है।

जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी शिवांश त्रिपाठी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की गई। यह कार भी गौममबुद्ध नगर से चुराई गई थी। पूछताछ के बाद चोरी में फरीदाबाद का शईद और दिल्ली का फारुक का नाम सामने आया। यह भी पता चला कि शईद ने कार को सलीम को बेची थी। इस पर लखीमपुर खीरी से आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया गया। सलीम ने बताया कि उसने कार को मोहम्मद रईस उर्फ पप्पू को बेच दी। मोहम्मद रईस को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने कार को अमरोहा निवासी फुरकान को कार बेचने की बात बताई।

शिकायत के 48 घंटे बाद भी भाजपा की आपत्तिजनक चुनाव सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई : आतिशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शिकायत के 48 घंटे बाद भी चुनाव आयोग की ओर से भाजपा के आपत्तिजनक होर्डिंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं लेने पर रविवार को उसे घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली भर में भाजपा के आपत्तिजनक होर्डिंग्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज किए हुए 48 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से भाजपा को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग केवल विपक्षी दलों को ही नोटिस भेजेगा? उन्होंने दावा किया कि इसके विपरीत भाजपा द्वारा चुनाव आयोग में एक शिकायत करने के मात्र 12 घंटे के भीतर ही वरिष्ठ आप नेता आतिशी को नोटिस भेज दिया गया था।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर तीन महीने में हुए 6,591 चालान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाना चिंता का सबब बनता जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने रविवार को कहा कि वर्ष 2024 के दौरान, एक जनवरी से 31 मार्च तक नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ चलाए विशेष अभियान के तहत 6,591 लोगों के चालान काटे गए। जबकि 2022 में तीन महीने में 399 और 2023 में 5,384 चालान काटे गए थे।

दिल्ली के दस यातायात सर्किल पर चलाए गए अभियान के बाद रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा रजोरी गार्डन, समयपुर बादली, महरौली, करोलबाग, रोहिणी, माडल टाउन, पंजाबी बाग, नरेला, कालकाजी और लाजपतनगर में चालान काटे गए हैं। 2024 के पहले तीन महीनों में 2022 में इसी अवधि के दौरान 15 गुना से ज्यादा चालान हुए हैं।

यातायात पुलिस ने जारी किए आंकड़े, एक जनवरी से 31 मार्च तक चलाया गया था विशेष अभियान

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)
मैसर्स लाइबा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ
प्रासंगिक विवरण

1.	**निगमित देनदार का नाम**	**मैसर्स लाइबा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड**
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	13/09/2007
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत/पंजीकृत है	आरओसी- दिल्ली
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	CIN : U55100DL2007PTC168128
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पता :** ई-20 लाजपत नगर-।।।, नई दिल्ली-110024
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ करने की तिथि	**20-03-2024** (आदेश 04.04.2024 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की अनुमानित तिथि	**01-10-2024** (गणना कार्य 04.04.2024 से)
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	**नाम : श्री सौरभ शर्मा** **पंजीकरण संख्या :** IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई-मेल	पता : बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 ईमेल आईडी : sk04sharma@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र-व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई-मेल	**पता :** बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059 **ईमेल आईडी :** lipl.cirp@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	**18-04-2024** (आदेश प्राप्ति से 14 दिवस)द
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित, धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों,	लागू नहीं हैं
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	लागू नहीं हैं
14.	(क) सुसंगत प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यहां उपलब्ध हैं :	(क) सुसंगत प्रपत्र यहां पर उपलब्ध हैं https://ibbi.gov.in/en/home/downloads **(ख) एनए**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण ने दिनांक **20-03-2024 को मैसर्स लाइबा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 04.04.2024 को प्राप्त हुयी)।
एतद्द्वारा **मैसर्स लाइबा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड** के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे **18-04-2024** को अथवा इससे पूर्व अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास, प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर, साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।
वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं।
एक वित्तीय ऋणदाता जो प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्धानुसार किसी एक श्रेणी से संबंधित है, वह प्रपत्र सीए-लागू नहीं है, में श्रेणी (श्रेणी उल्लिखित करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी रुचि को प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के मध्य में से चुनकर उल्लिखित करेगा।
दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

सौरभ शर्मा
अंतरिम समाधान व्यवसायी
लाइबा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में
पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P-02550/2021-2022/13951
एएफए की वैधता : 18-12-2024 तक
निवास पता : बी-204, प्रथम तल पीछे की ओर, टी-एक्सटेंशन, गली सं. 7, विश्वास पार्क एक्स., उत्तम नगर, दिल्ली 110059
दिनांक : 07/04/2024
स्थान : नई दिल्ली

सांकेतिक अधिग्रहण सूचना
ICICI Home Finance
पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059
शाखा कार्यालय : भूतल, एल्डिको भवन/एल्डिको शॉपी, हॉल-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, केएच नंबर 700, सरसावां परगना, अर्जुनगंज, भाटिया बेकरी और एक्सिस बैंक के पास, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226002।
जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता के नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	उषा (उधारकर्ता), नवीन दीक्षित (सह-उधारकर्ता), LHLUC00001485864	एनए ग्राम सिधौली परगना बड़ी लखनऊ गाटा संख्या 509 सीतापुर उत्तर प्रदेश 261303 (संदर्भ लैन संख्या LHLUC00001485864) पर स्थित है। परिसीमित- उत्तरः प्रदीप का प्लॉट, दक्षिणः मुकीर का प्लॉट, पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः जतीश शुक्ला का प्लॉट। अधिग्रहण की तिथि- 04-अप्रैल-24	12-12-2023 रु. 8,24,473/-	लखनऊ-बी
2.	उषा (उधारकर्ता), नवीन दीक्षित (सह-उधारकर्ता), LHLUC00001485866	एनए स्थित ग्राम सिधौली परगना बड़ी लखनऊ गाटा संख्या 509 सीतापुर उत्तर प्रदेश 261303 (संदर्भ लैन संख्या LHLUC00001485866)। परिसीमित- उत्तरः प्रदीप का प्लॉट, दक्षिणः मुकीर का प्लॉट, पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः जतीश शुक्ला का प्लॉट। अधिग्रहण की तिथि- 04-अप्रैल-24	12-12-2023 रु. 36,622/-	लखनऊ-बी
3.	मोह. नसर खान (उधारकर्ता), आयशा वारसी (सह-उधारकर्ता), LHLKS00001407563	एनए ग्राम मिश्रीपुर परगना महोना बक्त लखनऊ मिडिल क्लास खसरा नंबर 674 666 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226013 (संदर्भ लैन नंबर स्प्रश्नै0001407563) पर स्थित है। परिसीमित- उत्तरः प्लॉट नंबर 31, दक्षिणः प्लॉट नंबर 29, पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट एन.ए.-5, अधिग्रहण की तिथि- 04-अप्रैल-24	11-01-2024 रु. 5,97,807.82/-	लखनऊ दक्षिण-बी
4.	मोह. नसर खान (उधारकर्ता), आयशा वारसी (सह-उधारकर्ता), LHLKS00001417681	एनए ग्राम मिश्रीपुर परगना महोना बक्त लखनऊ मिडिल क्लास खसरा नंबर 674 666 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226013 (संदर्भ लैन नंबर LHLKS00001417681) पर स्थित है। परिसीमित- उत्तरः प्लॉट नंबर 31, दक्षिणः प्लॉट नंबर 29, पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट एन.ए.-5, अधिग्रहण की तिथि- 04-अप्रैल-24	11-01-2024 रु. 7,68,809/-	लखनऊ दक्षिण-बी
5.	मोह. नसर खान (उधारकर्ता), आयशा वारसी (सह-उधारकर्ता), LHLKS00001417682	एनए ग्राम मिश्रीपुर परगना महोना बक्त लखनऊ मिडिल क्लास खसरा नंबर 674 666 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226013 (संदर्भ लैन नंबर LHLKS00001417682) पर स्थित है। परिसीमित- उत्तरः प्लॉट नंबर 31, दक्षिणः प्लॉट नंबर 29, पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट एन.ए.-5, अधिग्रहण की तिथि- 04-अप्रैल-24	11-01-2024 रु. 39,405.6/-	लखनऊ दक्षिण-बी

ऊपर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा।
दिनांक : 08 अप्रैल 2024
स्थान : सीतापुर, लखनऊ
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022
IDFC FIRST Bank
परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
अधिग्रहण सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)
जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ताओं और गारंटरों को निम्न संलग्नित मांग सूचना में अंकित राशि का, मांग सूचना की तिथि से लेकर के भुगतान/वसूलीकरण तक भावी ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्तागण/गारंटरगण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ताओं/गारंटरों को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, इस सूचना पर निर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋण खाता संख्या	ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटरों के नाम	बंधककृत संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना		लिये गये अधिग्रहण की तिथि एवं प्रकार
			तिथि	बकाया राशि (रु.)	
14583828	1. किशोर कुमार, 2. शशि किशोर कुमार	एक आवासीय फ्लैट संख्या एफ.एफ.-08 (प्रथम तल) (एल.आई.जी.) (सामने की ओर) (छताधिकारों के बिना) के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका अधिमापन 31.77 वर्ग मीटर अर्थात् 38 वर्ग गज है जो प्लॉट नंबर 29, खसरा नंबर 1303 पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी पी. एन. विहार, हदबस्त ग्राम : लोनी (चकबंदी बहार) (एफ-ब्लॉक, एस.एल.एफ. वेद विहार), परगना/ तहसील और जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित, तथ निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- रास्ता 18 फुट चौड़, पश्चिम : रास्ता 15 फुट चौड़, उत्तर- प्लॉट दीगर स्वामी, दक्षिण- रास्ता 20 फुट चौड़।	18-11-2023	रु. 6,66,926.36/-	04-04-2024 सांकेतिक अधिग्रहण
26691816	1. महेश चंद्र, 2. कोशल देवी	1 किता आवासीय प्लॉट नंबर-64 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो ब्लॉक-जी, 200 वर्ग गज अर्थात् 167.22 वर्ग मीटर अर्थात् 1800 वर्ग फुट का अधिमापन, जो खसरा नंबर-308 पर, संपत्ति ग्राम- हकीकतपुर उर्फ- खुदाबास, राम पार्क, एक्सटेंशन कॉलोनी, परगना लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- गली 10 फुट, पश्चिम- सड़क 20 फुट, उत्तर- रिक्त भूमि, दक्षिण- रिक्त भूमि।	23-11-2023	रु. 24,32,562.50/-	04-04-2024 सांकेतिक अधिग्रहण
14301994	1. राकेश त्यागी, 2. पूनम राकेश त्यागी	फ्लैट नं ई-649 के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 88 वर्ग गज अर्थात् 73.57 वर्ग मीटर (आवृत क्षेत्रफल), तृतीय तल पर (छताधिकारों के बिना), प्लॉट नंबर 78 पर निर्मित, खसरा नं 124 में से "फ्रेंड्स कॉलोनी", गांव : रईसपुर, परगना : डासना, तहसील और जिला : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201015 में स्थित, और पूरा भूखंड निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- अन्य स्वामी का भूखंड, पश्चिम- अन्य स्वामी की भूमि, उत्तर- अन्य स्वामी की भूमि, दक्षिण- रास्ता 20 फुट चौड़।	28-12-2023	रु. 17,08,428.22/-	04-04-2024 सांकेतिक अधिग्रहण

ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ताओं/गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, मांग सूचना में अंकित एक राशि तथा मांग सूचना की तिथि से लेकर के भुगतान/वसूलीकरण होने तक आकलित भावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)** के प्रभाराधीन होगा।
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित)
दिनांक : 04-04-2024
स्थान : गाजियाबाद

www.readwhere.com